

उत्तर प्रदेश पीएसी मुख्यालय, लखनऊ

महानगर लखनऊ-226006

फोन : 0522-2337452

फैक्स नं० : 0522-2337453

सीयूजी : 9454400136

Email : pac@uppac.net

पत्रांक : पीएसी-2-निर्देश -2019/396
दिनांक: मार्च 22, 2019

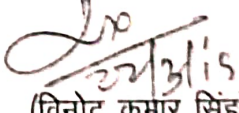
समस्त सेनानायक
पीएसी वाहिनी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : अधिक दूरी की यात्रा सड़क मार्ग से न किए जाने के सम्बंध में।

प्रायः सड़क दुर्घटना के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें लोगों की मृत्यु हो जाती है अथवा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस दिशा में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

2- सेनानायक/उपसेनानायक अथवा सहायक सेनानायक सुदूर व्यवस्थापित अपनी वाहिनियों की कम्पनियों की चेकिंग हेतु व अन्य राजकीय यात्राएं सड़क मार्ग से न करके ट्रेन अथवा वायुयान (अनुमन्यता के आधार पर) से करें। यात्रा से पूर्व स्थानीय/निकटस्थ वाहिनी द्वारा गंतव्य स्थल(रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा) से ही वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध कर लिया जाए।

3- अति विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षार्थ अल्प समय की सूचना पर बन्दोबस्त ड्यूटी अथवा कानून एवं व्यवस्था से संबंधित अन्य अपरिहार्य स्थिति में ही सड़क मार्ग का अनुश्रवण किया जाए। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर रात्रि में यात्रा से बचा जाए। यात्रा के दौरान सड़क सुरक्षा मानकों (सीट बेल्ट/हेलमेट इत्यादि) के कड़ाई से अनुपालन हेतु वाहन चालकों को सचेत किया जाए तथा यथा संभव लंबी दूरी के दौरान अल्प विश्राम करते हुए यात्रा पूरी की जाए।


(विनोद कुमार सिंह)

अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी
उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी, जोन, उ०प्र०।
- 2-समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग, उ०प्र०।